राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1672/2012

सुरेश कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. भू–प्रबंध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.11.2012
आदेश की दिनांक : 01.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेन्द्र मिश्रा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से वसूली किए जाने के संबंध में जारी पत्र दिनांक 26.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। यह पत्र भू–प्रबंध अधिकारी सीकर द्वारा जारी किया गया है। प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को शुरूआत में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में दिनांक 01.10.1988 को नियुक्त किया गया। तत्पश्चात आदेश दिनांक 31.05.1994 द्वारा नियमित नियुक्ति प्रदान की जाकर सिरोही में पदस्थापित किया गया (अनुलग्नक–1)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी वसूली पत्र दिनांक 26.09.2012 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी से 24508/– रुपये जमा करवाने हेतु कहा गया है, जो अपीलार्थी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहने के दौरान यात्रा भत्ता, चिकित्सा पुर्नभरण, बोनस और वर्दी के लिए भुगतान किए जाने का अंकन है। अपीलार्थी को कोई अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही कर्मचारी को यदि एक बार वेतन भत्तों का भुगतान कर दिया जाता है तो उसकी वसूली नहीं किए जाने का सुस्थापित नियम है। अतः जारी नोटिस गैर कानूनी और मनमाना होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। वसूली नोटिस अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही जारी किया गया है, जो अपीलार्थी के विधिक और मूलभूत अधिकारों के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर आदेश निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि जारी वसूली नोटिस पूर्णतः विधि सम्मत है। इसमें किसी भी प्रकार की दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं है। अपीलार्थी तत्समय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी होने से राज्य

कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए अपीलार्थी को चिकित्सा, यात्रा, बोनस एवं वर्दी भत्ता नियमों के अनुसार देय नहीं है। अपीलार्थी से चिकित्सा व्यय के रूप में रुपये 5073/–, यात्रा भत्ता 10047/–, बोनस के रूप में 5394/– रुपये एवं वृद्धि भत्ते के देय 3043.50 रुपये कुल 24058/– रुपये भुगतान किए गए थे, की वसूली हेतु जारी वसूली आदेश नियमानुसार जारी किया गया है। यह आदेश जांच प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/2001 के आक्षेप के अनुसार जारी किया गया है। अतः समस्त कार्यवाही नियमानुसार होने से अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना गया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं अनुशीलन कर मनन किया गया।

उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 3461/1992 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.1993 की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 31.05.1994 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद की वेतन श्रृंखला में दिनांक 28.04.1992 से नियुक्ति किए जाने की स्वीकृति जारी की जाकर भू–प्रबंध अधिकारी, सिरोही के कार्यालय में पदस्थापित किया गया। इससे पूर्व अपीलार्थी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहा है। जारी वसूली नोटिस से स्पष्ट है कि विशेष आन्तरिक जांच प्रतिवेदन 4/95 से 3/2001 सिरोही कार्यालय के अनुक्रम में अपीलार्थी से रुपये 24508/– राजकोष में जमा करवाने हेतु वसूली नोटिस जारी किया गया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में पदस्थापन अवधि में भुगतान की गई राशि वसूली किए जाने का अंकन है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकन है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी राज्य कर्मचारी नहीं होने के कारण उस अवधि में अपीलार्थी को चिकित्सा, यात्रा, बोनस एवं वर्दी भत्ता नियमानुसार देय नहीं है, जिस कारण विशेष आन्तरिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर वसूली किए जाने हेतु नोटिस जारी किया गया। पत्रावली पर विशेष आन्तरिक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त राशि का भुगतान अपीलार्थी को उसके दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहने के दौरान किया गया है या उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति प्रदान करने के बाद किया गया है।

अतः प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को भुगतान की गई उक्त राशि के संबंध में जांच की जाकर जो राशि उसकी नियमित नियुक्ति के पश्चात नियमानुसार नियमित राज्य कर्मचारी के रूप में नियमानुसार भुगतान की गई, की वसूली नहीं की जावे और यदि कोई राशि अपीलार्थी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहने के दौरान भुगतान की गई है, जिसके लिए वो पात्र नहीं है, की वसूली किए जाने के लिए प्रत्यर्थी विभाग स्वतंत्र होगा।

उक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को उक्त समस्त कार्यवाही अधिकतम तीन माह की अवधि में सम्पादित किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)